4-9-19	वकील प्रार्थी हाजिर। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 17-9-19 को पेश हो।
17-9-19	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित। आज पीठासीन अधिकारी ड्यूटी मजिस्ट्रेट व्यस्त होने से पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 19/10/19 को पेश हो।
19/10/19	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस हेतु समय चाहा। बहस हेतु समय दिया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 25/10/19 को पेश हो।
25/10/19	पत्रावली पेश हुइ/वकील उभयपक्ष उपस्थित है P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य मे व्यस्त/यात्रा पर/अन्य कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 5/11/19 को पेश हो।
5/11/19	पत्रावली पेश हुइ/वकील उभयपक्ष उपस्थित है P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य मे व्यस्त/यात्रा पर/अन्य कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 19/11/19 को पेश हो.
19/11/19	पत्रावली पेश हुइ/वकील उभयपक्ष उपस्थित है P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य मे व्यस्त/यात्रा पर/अन्य कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 11/12/19 को पेश हो।
11-12-19	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस TR पर एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 30/12/19 को पेश हो।
30/12/19	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर ध्यान किया। प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है। पृथक से निर्णय जारी किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील संलग्न रिकार्ड हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

उपखण्ड अधिकारी (स्टाम्प)

...मायक संघ, सीकर

उपखण्ड अधिकारी
धोद म सीकर

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर जिला सीकर
पीठासीन अधिकारी- राजपाल यादव, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा- राजस्व प्रार्थना-पत्र-30/2018

रामेश्वरलाल पुत्र प्रेमदास उम्र 61 वर्ष जाति स्वामी निवासी ताखरों की ढाणी, तहसील धोद जिला सीकर

—प्रार्थी

बनाम

1. उगमाराम पुत्र प्रेमदास
2. कन्हैयालाल पुत्र प्रेमदास
   समस्त जाति स्वामी निवासीगण ताखरों की ढाणी तहसील धोद जिला सीकर
3. तहसीलदार धोद, तहसील धोद जिला सीकर

—अप्रार्थीगण

आवेदन बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ

उपस्थिति—
01. श्री सत्यवीरसिंह चौधरी, वकील प्रार्थी की ओर से

-आदेश-

दिनांक— 30.12.2019

01. आवेदन के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि "प्रार्थी ने उपर्युक्त उनवान आवेदन अत्यंत ही ठोस आधारों पर पेश किया है, जिसमें प्रार्थी को अपनी सफलता की पूर्ण आशा है। ग्राम आंतरी पटवार हल्का बिडोली तहसील धोद में प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 व 2 की पैतृक आराजियात खसरा नं. 1021 रकबा 3.51 हेक्टेयर, खसरा सं. 1030 रकबा 1.04 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 4.55 हेक्टेयर अवस्थित है। उक्त आराजियात पर उभयपक्ष बाहमी बंटवारा करके नींव–सींव कायम करके काबिज काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 व 2 आपस में भाई है, प्रत्येक का 1/3 1/3 हिस्सा है तथा उक्त भूमि में अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 बंटवारे को लेकर काश्त करने व लाट–बांट करने के लिए लड़ते रहते है तथा उक्त भूमि पर बने ट्यूबवेल के पानी को पीने व सिंचाई हेतु प्रयोग में लेने से मना करते है। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 प्रार्थी के कब्जेशुदा 1/3 हिस्से की कृषि भूमि में प्रार्थी को बेदखल करने की कुचेष्ठा में लगे हुये है तथा अवैध तरीके से प्रार्थी के कब्जेशुदा शामलाती भूमि को भूमाफिया लोगों को विक्रय करके प्रार्थी को अपने हिस्से से बेदखल करना चाहते है। यदि अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 अपनी इस कुचेष्ठा में सफल हो गये, तो प्रार्थी को असीम क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी तरह से संभव नहीं है। इसलिये अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है, सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थी द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को जरिये अस्थायी निषधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजियात खसरा नं. 1021 रकबा 3.51 हेक्टेयर, खसरा सं. 1030 रकबा 1.04 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 4.55 हेक्टेयर वाके ग्राम आंतरी पटवार हल्का बिडोली तहसील धोद में मय ट्यूबवेल कनैक्शन के प्रार्थी के हिस्से की कृषि भूमि से प्रार्थी को बेदखल नहीं करे तथा प्रार्थी के उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न करने से बाज रहें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Scanned with CamScanner

02. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की ओर से अभिभाषक श्री सुरेन्द्र सिंह खर्रा उपस्थित हुए। लेकिन अनेक अवसर देने के पश्चात् भी जवाब पेश नहीं किया, इसलिए जवाब बंद किया गया।

03. बहस एकपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र के कथन दोहराकर अपने आवेदन को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

04. हमने बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 वाके ग्राम आंतरी तहसील धोद के अनुसार विवादित आराजी खसरा सं. 1021 व खसरा सं. 1030 किता 2 कुल रकबा 4.55 हेक्टेयर की खातेदारी उगमाराम, रामेश्वरलाल, कन्हैयालाल पि. प्रेमदास जाति स्वामी सा. देह के नाम पर दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि विवादित भूमि प्रार्थी तथा अप्रार्थी सं. 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है, जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा बनता है। प्रार्थी को अपने हिस्से की कब्जे–काश्त भूमि से बेदखल करने का अप्रार्थी सं. 1 व 2 को कोई अधिकार नहीं है तथा न ही संयुक्त मालिकाना हक के ट्यूबवैल के उपयोग, उपभोग करने से मना करने का अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। यदि अप्रार्थी सं. 1 व 2 प्रार्थी को उसके हिस्से 1/3 भाग की भूमि से बेदखल करते है या ट्यूबवैल के उपयोग में बाधा उत्पन्न करते हैं, तो इससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी।

अतः उपर्युक्त विवरण के अनुसार प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 व 2 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि मूल वाद के निर्णय तक आराजियात खसरा नं. 1021 रकबा 3.51 हेक्टेयर, खसरा सं. 1030 रकबा 1.04 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 4.55 हेक्टेयर वाके ग्राम आंतरी तहसील धोद के मौका की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील संलग्न मूल वाद रहे।

यह निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2020.01.06 14:41:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: